प्रेस नोट दिनाँक-14.07.2022

(1). दिनाँक-13.07.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का एहसास कराया गया।

(2). आज दिनांक 14.07.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान "मिशन शक्ति" के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसेः- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन्न, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को।जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गए एवं सार्वजनिक स्थानों एवं चस्पा किये गए।

(3). आज दिनाँक 14.07.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुना गया तथा उनके त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया।

(4). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 वाछित/वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

(क). प्रभारी निरीक्षक थाना भरतकूप श्री दुर्गेश प्रसाद गुप्ता के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री शैलेन्द्र कुमार तथा उनके हमराही आरक्षी अजीरूद्दीन द्वारा मु0अ0सं0 51/22 धारा 363/366 भादवि0 के वांछित अभियुक्त कुलदीप कुमार उर्फ़ बड़कू पूत्र कीरत प्रसाद निवासी तराव थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीमः-</u>

1. उ0नि0 श्री शैलेन्द्र कुमार थाना भरतकूप
2. आरक्षी अजीरूद्दीन

(ख). चौकी प्रभारी परिक्रमा मार्ग श्री हरिश्चन्द्र मिश्रा तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0स0193/22 धारा 147/148/149/323/324/325/304 भादवि0 के वाछित अभियुक्त गुड्डन उर्फ नरेन्द्र निवासी भरतपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. श्री हरिश्चन्द्र मिश्रा चौकी प्रभारी परिक्रमा मार्ग चित्रकूट
2. आरक्षी श्यामू कुमार

(5). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे मुकदमों में सघन पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रुप से गवाहों को पेश कराने हेतु दिये गये निर्देशों के

अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी श्री अशोक कुमार सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अबरार द्वारा मुकदमें में कड़ी मेहनत कर समय से गवाहों की पेशी करायी गयी। वरिष्ट अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ आनन्द द्वारा प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस की गयी, जिसके परिणामस्वरूप श्री संजय कुमार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चित्रकूट द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 54/2005 धारा 279/337/304ए भादवि के आरोपी अभियुक्त नबाब सिंह पुत्र सुखनन्दन सिंह निवासी जौहरपुर थाना तिंदवारी जनपद बांदा को 01 वर्ष के कारावास व 1250/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।